फर्द अहकाम

# अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा

केदार बनाम रामलाल वगै0

किस्म मुकदमा–प्रा0पत्र 128 एल.आर.ए. मु0नं0–59 / 2024

पीठासीन अधिकारी– डॉ0 नवनीत कुमार (आर0ए0एस0)

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 30/6/25 | पत्रावली निर्णय हेतु पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। पत्रावली के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि विवादित भूमि खसरा नम्बर 602, 611, 967 / 606, 968 / 606 वाके रामा गढोरा में स्थित है जो कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि है तथा भूमि खसरा नम्बर 603 एवं 604 वाके रामा गढोरा जो कि अप्रार्थी संख्या 1 एवं 2 की खातेदारी की भूमि है जो कि प्रार्थीगण की भूमि से लगते हुए है। यह है कि दिनांक 03.05.2024 को सुबह 8 बजे जब प्रार्थीगण अपनी खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की भूमि की सार संभाल कर रहे थे तो अप्रार्थीगण एकराय होकर आ गए तथा प्रार्थीगण की भूमि की जबरदस्ती मेड तोडकर कर घूसने लगे, उस समय आसपास के लोगो द्वारा समझाईस की गई। इसलिए पक्षकारान के मध्य विवाद की स्थिति बनी हुई है। इसलिए भूमि प्रार्थीगण की पत्थरगढी हेतु आदेश तहसीलदार बहरावण्डा को दिए जावे।<br>इत्यादि पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थीगण संख्या 1, 2 की तलबी जारी की गई, उपस्थित नहीं होने पर एकपक्षीय कार्यवाही की गई। तहसीलदार बहरावण्डा से जवाब तलब किया गया। एवं पत्रावली में बहस सुनी गई। प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस निवेदन किया कि विवादित भूमि प्रार्थीगण के कब्जेकाश्त की भूमि है। उक्त भूमि का सीमाज्ञान दिनांक 20.06.2009 तथा 16.06.2022 को किया जा चुका है। प्रार्थीगण उक्त सीमाज्ञान मुताबिक पत्थरगढी कार्यवाही करवाना चाहते है। बिना पत्थरगढी के प्रार्थीगण की भूमि के सीमाचिन्ह नष्ट होने का खतरा बना रहता है तथा सीमा विवाद होने की संभावना बनी रहती है। इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अ0धा0 128 एल.आर.ए. स्वीकार कर पत्थरगढी करने के आदेश प्रदान किए जावे।<br>हमने प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस का मनन किया एवं पत्रावली तथा पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया प्रकरण में तहसीलदार सिकराय द्वारा भी जवाब पेश किया गया है। पत्रावली में पेश दस्तावेज सूची दिनांक 30.06.2025 के साथ पेश सीमाज्ञान आदेश के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि विवादित भूमि का सीमाज्ञान दिनांक 16.06.2022 को किया जा चुका है। इसलिए अ0धा0 128 एल आर एक्ट के तहत प्रार्थीगण अपनी भूमि की पत्थरगढी करवाने के अधिकारी है ताकि किसी भी प्रकार के सीमाचिन्ह विवाद से बचा जा सके। इसलिए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।<br>अतः प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र स्वीकार कर भूमि खसरा नम्बर 602, 611, 967 / 606, 968 / 606 वाके रामा गढोरा तह0 बहरावण्डा जिला दौसा में पत्थरगढी कायम करने के आदेश तहसीलदार को दिए जाते है तहसीलदार उक्त आदेशानुसार प्रार्थी की भूमि पर पत्थरगढी कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। तहसीलदार बहरावण्डा को पालना हेतु तहरीर जारी हो।<br>निर्णय मेरे द्वारा आज लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।<br><br>उपखण्ड अधिकारी<br>सिकराय जिला दौसा | उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट सिकराय जिला–दौसा (राज.) |